Signature Not Verified
Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 2011/00041 (41/2021)

1. जीतसिंह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति रायसिख निवासीगण मल्लड़खेड़ा, तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
2. पूर्णसिह पुत्र श्री धर्मसिंह जाति रायसिख निवसीगण मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

——अपीलार्थी/वादीगण

बनाम

1. जंगीर सिंह
2. संतोख सिंह
3. करनैल सिंह
4. जरनैल सिंह

पुत्रगण श्री गुरदेयाल सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति रायसिख निवासीगण मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

5. बन्तो
6. ठाकरो
7. अमरो
8. बिन्द्रो

पुत्रियॉ गुरदयाल सिंह पुत्र भगवान सिंह जाति रायसिख निवासीगण मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

9. जीतो
10. प्रीतो

पुत्रियॉ भाग सिह जाति रायसिख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

11. सज्जन सिंह पुत्र श्री धर्मसिंह पुत्र भाग सिह जाति रायसिख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।
12. बन्सो पुत्री पुत्र श्री धर्म सिंह पुत्र भाग सिह जाति रायसिख निवासी मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

13. पाला सिंह
14. हरनाम सिंह

पुत्रगण श्री भागसिंह जाति रायसिख निवासीगण मल्लड़खेड़ा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ।

रेस्पोडेण्ट/प्रतिवादीगण

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी टिब्बी,

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:16 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 04.03.2021, प्रकरण संख्या 78/2018
अनवान जीतसिंह आदि बनाम जंगीर सिह आदि

श्री अजय कुमार बिश्नोई व प्रदीप सिंह, अभिभाषक अपीलार्थी
श्री प्रहलाद कुमार सुथार, रेस्पो0 सं0 1 से 10 व 14

निर्णय दिनांक 27.8.2021

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88, 188 के अन्तर्गत एक वाद पेश किया जिसमें कथन किया कि वादीगण के दादा व प्रतिवावदी सं0 1 ता 8 व प्रतिवादी सं0 11 व 12 के स्व0 दादा श्री भागसिह तथा प्रतिवादी सं0 9 –10 एवं प्रतिवादी सं0 13 ता 14 के स्व0 पिता श्री भागसिंह को चक 4 एनडीआर तहसील टिब्बी के पटवारी हल्का मल्लड़खेड़ा में खाता संख्या 114/104 के प0 नं0 179/212 मु0 नं0 11 किला नं0 16 ता 18, 23 ता 24, प0 नं0 180/212 मु0 नं0 12, किला नं. 11, 12, 19 ता 21, प0 नं0 180/213 मु0 नं0 15 किला नं0 1, 2, 7, 9 ता 14, 17 ता 20 व प0 नं0 179/213 मु0 नं0 15 किला नं0 3 ता 7, 15, 16, 17 कुल 32 बीघा भूमि पुनर्वास विभाग द्वारा अलॉट हुई थी को वादीगण ने वादपत्र की दफा 2 में दर्ज स्व0 भागसिंह के नाम की आराजी के वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 9 ता 14 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खाता हाजा में स्व0 भागसिंह का नाम कलमजन किया जाने एवं प्रतिवादीगण संव 1 से 8 के विरूद्ध इस आशय का व्यादेश का अनुतोष चाहा कि वाद पत्र की चरण सं0 2 में वर्णित स्व0 भागसिंह की आराजी में हम वादीगण व प्रतिवादीगण सं0 9 ता 14 के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी करने से निषिद्ध रहे।

2. प्रतिवादीगण ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें कथन किया कि प्रश्नगत आराजी पुनर्वास विभाग द्वारा आवंटित है जो वर्तमान कागजात माल में राष्ट्रपति भारत सरकार के नाम से दर्ज है तथा उपरोक्त आराजी को सनद खातेदारी आज तक जारी नही हुई है ऐसी भूमि पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू नहीं होने के कारण वाद विधि द्वारा वर्जित है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kanwar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:16 IST
Reason: SelfAttested

3. उक्त प्रार्थना–पत्र का जवाब वादी ने दिया तथा कहा कि केन्द्रीय मंत्रीमंडल की आज्ञा दिनांक 22.05.2008 के मुताबिक पुनर्वास विभाग को समाप्त कर दिया तथा ऐसी समस्त निष्क्रान्त भूमि जिसका आवंटन नही किया गया है को राजस्व रिकार्ड में सिवाय चक दर्ज करने के आदेश पारित कर दिये हैं भविष्य में इस प्रकार की भूमि का निस्तारण राजस्व विभाग व उपनिवेशन विभाग द्वारा अपने नियमों के तहत किया जावेगा। वादी का वादी विधि द्वारा वर्जित नही है।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादीगण का आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का प्रार्थना–पत्र अपीलाधीन आदेश के द्वारा स्वीकार किया एवं वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होना मानते हुए खारिज किया जिससे व्यथित हेाकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

5. अपील पेश होने पर रेस्पोडेण्ट/प्रार्थी के अधिवक्ता ने दिनांक 12.04.2021 को प्रार्थना–पत्र पेश किया जिसमें जिसमें कथन कियाकि अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट एक ही परिवार के भाई बंधू हैं। अपीलाण्ट द्वारा जान बूझकर मृत व्यक्तियों के खिलाफ यह अपील पेश की है जिसमें रेस्पोडेण्ट संख्या 11 सज्जन सिंह पुत्र धर्मसिंह की मृत्यु आज से करीब 10–12 वर्ष पूर्व हो चुकी है व रेस्पोडेंट संख्या 12 बंशो पुत्री धर्मसिंह की मृत्यु भी आज से 7 वर्ष पूर्व हो चुकी है व रेस्पोडेंट संख्या 13 पालसिंह पुत्र भाग सिंह की मृत्यु भी दिसम्बर 2020 में हो चुकी है। उक्त तथ्यों का ज्ञान अपीलाण्ट को हमेशा से ही रहा है। अपीलाण्ट ने जानबूझकर मृत व्यक्तियों के वारिसान को इस अपील में पक्षकार नही बनाया है। अपील अपीलार्थीगण अबेट हो चुकी है जिसे मय खर्चा खारिज फरमाया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता/अपीलाण्ट अप्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र का जवाब पेश किया तथा प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पोडेण्ट संख्या 11, 12 व 13 की मृत्यु हो चुकी है जिनके कानूनी व वारिसान की सूची पेश है। मृतक रेस्पोडेण्ट के वारिसान को बतौर रेस्पोडेण्ट संयोजित किया जावे तथा रेस्पोडेण्ट के फौत होने की सूचना अपीलाण्ट्स को होने पर तुरन्त प्रभाव से अपीलाण्ट ने यह प्रार्थना–पत्र बिना किसी देरी के न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जिसमें अपील में हुई देरी को अबेटमेन्ट होने से क्षमा होने योग्य है। रेस्पोडेण्ट्स के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जावे।

7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.11.01 11:08:16 IST
Reason: SelfAttested

8. प्रार्थना–पत्रों के अवलोकन से यह स्पष्ट एवं स्वीकृत तथ्य है कि रेस्पोडेण्ट्स 11, 12, व 13 फौत हो चुके हैं। हालांकि किसी भी पक्ष ने मृत पक्षकारों के मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत नहीं किये हैं लेकिन अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्ट के इस तथ्य से इन्कार भी नहीं किया है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 11, 12 व 13 फौत नहीं हुए हैं। इस प्रकार प्रस्तुत अपील मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट् एक ही परिवार के सदस्य हैं परन्तु मृत व्यक्तियों के वारिसान को रिकार्ड पर लेने के संबंध में अपीलाण्ट ने निश्चित समयावधि में कार्यवाही नहीं की गई है, जो सूची प्रस्तुत की है वह भी रेस्पाडेण्ट के द्वारा इस संबंध में आपति करते हुए प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने क उपरान्त पेश की है। मृतक व्यक्तियों के मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र के अनुसार रेस्पोडेण्ट संख्या 11 सज्जन सिंह पुत्र धर्मसिंह की मृत्यु आज से करीब 10–12 वर्ष पूर्व हो चुकी है व रेस्पोडेंट संख्या 12 बंशो पुत्री धर्मसिंह की मृत्यु भी आज से 7 वर्ष पूर्व हो चुकी है व रेस्पोडेंट संख्या 13 पालसिंह पुत्र भाग सिंह की मृत्यु भी दिसम्बर 2020 में हो चुकी है। अपीलाण्ट ने इनत तथ्यों के विपरीत कोई तथ्य पेश नहीं किया है। अपीलाण्ट का आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी खारिज किये जाने योग्य है एवं रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 12.04.2021 को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अपील अबेट करने बाबत स्वीकार किये जाने योग्य है।

9. अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी खारिज किया जाता एवं रेस्पोडेण्ट का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है अपील मृत व्यक्तियों के विरूद्ध प्रस्तुत की गई होने के कारण अबेट होने के कारण खारिज की जाती है। अपीलाण्ट नियमानुसार कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.8.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

27/8/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़